रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2015/श्रावण 28, 1937
No. 281] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2015/SRAVANA 28, 1937

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2015

सं.18/1/2013/वि.मा.(एएस रेगु.)/केविविआ.–केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 द्वारा प्रदत्त और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः**

1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (आनुषंगिक सेवा प्रचालन) विनियम, 2015** है।

1.2 ये विनियम आयोग द्वारा अधिसूचित तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएं एवं निर्वचनः**

2.1 इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

क. "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम 2003(2003 का 36) अभिप्रेत है;

ख. किसी समय ब्लाक में "वास्तविक निकासी" से, यथास्थिति, क्रेता द्वारा आहरित इंटरफेस मीटरों द्वारा परिमापित विद्युत अभिप्रेत है;

ग. किसी समय ब्लाक में "वास्तविक अंतःक्षेपण" से इंटरफेस मीटरों द्वारा परिमापित विक्रेता द्वारा, यथास्थिति, उत्पादित या आपूर्ति की गई विद्युत अभिप्रेत है;

घ. "हिताधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका अंतरराज्यिक उत्पादन केन्द्र में शेयर है;

ङ "आयोग" से अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

च. "संकुलता" से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जहां पारेषण क्षमता के लिए मांग उपलब्ध अंतरण सामर्थ्य से अधिक हो जाती है;

छ. "विस्तृत क्रियाविधि" से विनियम 14 के अंतर्गत जारी की गई क्रियाविधि अभिप्रेत है;

ज. विक्रेता के लिए किसी समय ब्लाक में "विचलन" से इसके कुल वास्तविक अंतःक्षेपण ऋण इसकी कुल अनुसूचित उत्पादन अभिप्रेत है और क्रेता के लिए इसकी कुल वास्तविक निकासी ऋण इसकी कुल अनुसूचित निकासी अभिप्रेत है;

झ. "ग्रिड संहिता" से अधिनियम की धारा 79 (1) के खंड (ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड संहिता अभिप्रेत है;

ञ. "इंटरफेस मीटर" से समय समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों के संस्थापन एवं प्रचालन) विनियम 2006 के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यथापरिभाषित इंटरफेस मीटर अभिप्रेत है;

ट. "भार प्रेषण केन्द्र" से ग्रिड संहिता के उपबंधों के अनुसार अनुसूचीकरण के समन्वयन के लिए उत्तरदायी, यथास्थिति, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र अभिप्रेत है;

ठ "नोडल एंजेसी" से प्रणाली प्रचालक अर्थात् प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के माध्यम से राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र अभिप्रेत है जो अंतरराज्यिक स्तर पर आनुषंगिक सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगी। अंतःराज्यिक स्तर पर, राज्यिक भार प्रेषण केन्द्र उस समय नोडल एजेंसी होंगे जब कभी इस प्रकार की सेवाएं एसईआरसी द्वारा आरंभ की जाती हैं;

ड. "वास्तविक आनुषंगिक इकाई" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2014 के अधीन परिचालनकृत के रूप में प्रादेशिक विचलन पूल में सहभागिता करने वाली वास्तविक इकाई अभिप्रेत है जो आरक्षिति विनियमन आनुषंगिक सेवाएं प्रदायक के प्रेषण के लिए तैयार अनुसूची के लिए प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करेगा;

ढ. "आरक्षिति विनियमन आनुषंगिक सेवाओं या आरआरएएस" से वह आनुषंगिक सेवाएं अभिप्रेत है जो या तो विनियम डाउन सेवा या विनियम अप सेवा से मिलकर बनती हैं;

ण. "आरक्षिति विनियमन आनुषंगिक सेवा प्रदायक या आरआरएएस प्रदायक" से विनियम अप या विनियम डाउन सेवा प्रदान करने के लिए आरक्षिति विनियमन आनुषंगिक सेवाओं में सहभागिता के लिए पात्र प्रादेशिक इकाई उत्पादन केन्द्र अभिप्रेत है;

त. "विनियम डाउन सेवा" से ऐसी आनुषंगिक सेवा अभिप्रेत है जो ऐसी क्षमता उपलब्ध करवाती है जो तकनीकी सीमा और समय सीमा के अंदर उत्पादन में कमी के लिए नोडल एजेंसी के सिग्नल या अनुदेश के लिए प्रत्युत्तर दे सकती है ताकि प्रणाली फ्रिक्वेंसी या प्रणाली में संकुलन में परिवर्तनों के लिए प्रत्युत्तर दिया जा सके;

थ. "विनियम अप सेवा" से ऐसी आनुषंगिक सेवा अभिप्रेत है जो ऐसी क्षमता उपलब्ध करवाती है जो तकनीकी सीमा और समय सीमा के उत्पादन में वृद्धि के लिए नोडल एजेंसी के सिग्नल या अनुदेश के लिए प्रत्युत्तर दे सकती है ताकि प्रणाली फ्रिक्वेंसी या प्रणाली में संकुलन में परिवर्तनों के लिए प्रत्युत्तर दिया जा सके;

द. "प्रादेशिक इकाई" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी मीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन प्रादेशिक स्तर पर किया जाता है;

ध. किसी भी समय पर या किसी समय ब्लाक या किसी अवधि के लिए "अनुसूचित उत्पादन" से संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिए गए मेगावाट या मेगावाट घंटा एक्सबस में उत्पादन की अनुसूची अभिप्रेत है;

न. किसी भी समय पर या किसी समय ब्लाक या किसी अवधि के लिए "अनुसूचित निकासी" से संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिए गए मेगावाट या मेगावाट घंटा एक्सबस में निकासी की अनुसूची अभिप्रेत है;

प. "समय ब्लाक" से प्रत्येक 15 मिनट का समय ब्लाक अभिप्रेत है जिसके लिए विशेष ऊर्जा मीटर 00.00 घंटे पर आरंभ होने वाले प्रथम समय ब्लाक सहित विनिर्दिष्ट विद्युत पैरामीटरों का मूल्य रिकार्ड करते हैं;

फ. "अनपेक्षित अधिशेष" से उत्पादन केन्द्र में आरक्षित क्षमता अभिप्रेत है जो अधिगृहीत नहीं की गई है और प्रेषण के लिए उपलब्ध है एवं आयोग के संगत विनियमों के अनुसार दीर्घकालिक, मध्यकालिक और अल्पकालिक संव्यवहारों के अधीन उत्पादन केन्द्र तथा इसकी कुल अनुसूची की घोषित क्षमता के बीच अंतर के रूप में संगणित की गई है।

2.2. उपरोक्त के सिवाय और जबतक संदर्भ के विरुद्ध न हो या विषय से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु इस अधिनियम या ग्रिड संहिता या इस आयोग के किसी अन्य विनियमों में परिभाषित, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो इन्हें क्रमशः अधिनियम या ग्रिड संहिता या किसी अन्य विनियम में समनुदेशित किए गए हैं।

3. उद्देश्य

3.1. इन विनियमों का उद्देश्य वांछित स्तर पर फ्रिक्वेंसी स्तर को पुनःस्थापित करना और पारेषण नेटवर्क में संकुलता को अवमुक्त करना है।

4. विस्तार

4.1. ये विनियम विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच या दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच के माध्यम से सुकर किए गए संव्यवहारों में अंतर्ग्रस्त प्रादेशिक इकाइयों को लागू होंगे।

5. आरक्षित विनियम आनुषंगिक सेवाओं (आरआरएएस) के लिए सहभागिता हेतु पात्रता

5.1. सभी उत्पादन केन्द्र जो प्रादेशिक इकाइयां है और जिनका टैरिफ उनकी पूर्ण क्षमता के लिए आयोग द्वारा निर्धारित या अंगीकृत किया जाता है, आरआरएएस प्रदान करेंगे।

6. नोडल एजेंसी की भूमिका

6.1. नोडल एजेंसी विनियम 6.2 में यथानिर्धारित अंतरराज्यिक उत्पादन केन्द्रों के गुणावगुण क्रम के स्टेक को तैयार करेंगी और प्रेषण का निर्णय लेंगीः

6.2. विनियम अप के लिए, नोडल एजेंसी प्रत्येक समय ब्लाक में निम्नतम परिवर्ती लागत से उच्चतम परिवर्ती लागत में अंतरराज्यिक उत्पादन केन्द्रों की उपलब्ध अनपेक्षित अधिशेष क्षमताओं का स्टेक तैयार करेगी और विस्तृत क्रियाविधि में यथानिर्धारित रैंपअप या रैंप/डाउनरेट, प्रत्युत्तर समय पारेषण संकुलन और इस प्रकार के अन्य पैरामीटरों को हिसाब में लेगी। विनियम डाउन के लिए, उच्चतम परिवर्ती लागत से निम्नतम परिवर्ती लागत सहित अलग गुणावगुण क्रम स्टेक को उक्त तकनीकी पैरामीटरों सहित तैयार करेगी।

6.3. नोडल एजेंसी गुणावगुण क्रम की फैक्टरिंग और अंतरप्रादेशिक और अंतःप्रादेशिक पारेषण दबाव, यदि कोई है, को तैयार करेगी।

6.4. नोडल एजेंसी सतत कम फ्रिक्वेंसी या उच्च फ्रिक्वेंसी अवधि के दौरान, किसी प्रणाली आकस्मिकता, टाईलाइन पर भार इत्यादि को मानिटर करेगी।

6.5. नोडल एजेंसी विनियम अप और विनियम डाउन के लिए मितव्ययी प्रेषण के लिए गुणावगुण क्रम के आधार पर चुनिंदा आरआरएएस प्रदायक(कों) को उस समय निर्देश देगी जब कभी भी किसी निम्नलिखित घटनाओं के कारण प्रणाली में आवश्यकता उत्पन्न होती हैः

i. अत्यधिक मौसम पूर्वानुमान और/या विशेष दिवस
ii. उत्पादन यूनिट या पारेषण लाइन आउटेज
iii. भार पूर्ति की प्रवृति
iv. फ्रिक्वेंसी की प्रवृति
v. हाइड्रो उत्पादन के आउटेज, सिल्ट, कोयला आपूर्ति अवरोध इत्यादि के कारण यूनिट जैसी कोई असामान्य घटना
vi. संकुलता की ओर ले जाने वाला अत्यधिक लूप प्रवाह और
vii. इस प्रकार की अन्य घटनाएं

6.6. नोडल एजेंसी चुनिंदा आरआरएएस प्रदायक(कों) को अस्तित्व में न रहने पर आरआरएएस के लिए प्रवर्तित करने वाली परिस्थितियों के बाद उनकी सेवाओं को वापस करने का निर्देश देगी। सेवा की वापसी के लिए समय सीमा विस्तृत क्रियाविधि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

7. आरक्षिति विनियमन आनुषंगिक सेवा प्रदायक (आरआरएएस प्रदायक) की भूमिका

7.1. आरआरएएस प्रदायक, नियत प्रभारों और परिवर्ती प्रभारों और किसी अन्य लागू कानूनी प्रभारों के ब्यौरों को प्रादेशिक विद्युत समितियों को मासिक आधार पर प्रस्तुत करेगा।

7.2. आरआरएएस प्रदायक क्रमशः विनियम अप और विनियम डाउन के लिए नोडल एजेंसी के अनुदेश के अनुसार उत्पादन का अंतःक्षेपण या बेकडाउन करेगा।

8. प्रादेशिक विद्युत समितियों की भूमिका

8.1. प्रादेशिक विद्युत समितियां आरआरएएस प्रदायकों को लागू नियत प्रभारों, परिवर्ती प्रभारों और किसी अन्य कानूनी प्रभारों के ब्यौरों को गुणावगुण क्रम प्रेषण के लिए नोडल एजेंसी को मासिक आधार पर सूचित करेगी।

8.2. प्रादेशिक विद्युत समिति उनके ऊर्जा/विचलन लेखों को तैयार करने के लिए आरआरएएस प्रदायकों को लागू नियत प्रभारों, परिवर्ती प्रभारों और किसी अन्य कानूनी प्रभारों के ब्यौरों का प्रयोग करेगी।

9. आरक्षिति विनियमन आनुषंगिक सेवाओं का प्रेषण

9.1. आरआरएएस के अंतर्गत उत्पादन, नोडल एजेंसी द्वारा यथानिर्णित किसी एक या अधिक प्रादेशिक ग्रिडों में वास्तविक आनुषंगिक इकाई के लिए अनुसूचित किया जाएगा।

9.2. जैसे ही अनुसूचित क्रियाविधि में नोडल एजेंसी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट समयावधि आरंभ होती है, आरआरएएस अभिप्रेरित मानी जाएगी।

9.3. आरआरएएस प्रदायक(कों) की अनुसूचियां, आरआरएएस के अंतर्गत नोडल एजेंसी द्वारा अनुसूचित मात्रा द्वारा यथासंशोधित मानी जाएगी।

संशोधित अनुसूची के आगे आरआरएएस प्रदायक(कों) की अनुसूची में कोई परिवर्तन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2014 के अनुसार समझे जाएंगे।

10. आरक्षिति विनियमन आनुषंगिक सेवाओं की वापसी :

यह समाधान हो जाने पर कि आरआरएएस को अभिप्रेरित करने वाली परिस्थितियां अब अस्तित्व में नहीं रहेंगी, नोडल एजेंसी आरआरएएस प्रदायक(कों) को विस्तृत क्रियाविधि में विनिर्दिष्ट समय ब्लाक से वापसी के लिए निर्देश देंगी।

11. आरक्षिति विनियमन आनुषंगिक सेवाओं का अनुसूचीकरण

11.1. प्रेषित किए गए उत्पादन की मात्रा संबंधित आरआरएएस प्रदायक(कों) की अनुसूची में प्रत्यक्ष रूप से शामिल की जाएगी।

11.2. विनियम अप सेवा के लिए, विद्युत को संबंधित नोडल एजेंसी द्वारा वास्तविक आनुषंगिक इकाई के लिए उत्पादन केन्द्र से तब तक अनुसूचित किया जाएगा, जब तक कि इस संबंध में नोडल एजेंसी सेवा की वापसी के लिए अनुदेश न दे।

11.3. विनियम डाउन सेवा के लिए विद्युत को उत्पादन केन्द्र की वास्तविक आनुषंगिक इकाई से तब तक अनुसूचित किया जाएगा, ताकि उत्पादन केन्द्र के प्रभावी अनुसूचित अंतःक्षेपण को कम किया जा सके जब तक नोडल एजेंसी सेवा की वापसी के लिए अनुदेश न दे।

11.4. आरआरएएस के लिए प्रादेशिक विचलन व्यवस्थान लेखा सहित अलग विवरण रखा जाएगा।

11.5. आरआरएएस के अधीन प्रेषित ऊर्जा परिदत्त एक्सबस के रूप में मानी जाएगी।

12. ऊर्जा लेखांकन

12.1. ऊर्जा लेखांकन, इंटरफेस मीटर डाटा और अनुसूची पर आधारित विचलन व्यवस्थापन लेखा सहित साप्ताहिक आधार पर संबंधित प्रादेशिक विद्युत समिति द्वारा किया जाएगा।

12.2. प्रादेशिक विद्युत समितियां विचलन व्यवस्थापन तंत्र लेखा सहित आनुषंगिक सेवा विवरण जारी करेंगी।

13. आरक्षिति विनियमन आनुषंगिक सेवा व्यवस्थापन :

13.1. व्यवस्थापन आरक्षिति विनियमन आनुषंगिक सेवाओं के पृथक लेखाशीर्ष के अंतर्गत विचनल व्यवस्थापन लेखा के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

13.2. आरआरएएस प्रदायक(कों) को भुगतान प्रादेशिक विचनल पूल लेखा निधि से किया जाएगा। आनुषंगिक सेवाओं के प्रेषण के कारण आरएलडीसी द्वारा रखे गए प्रादेशिक

विचनल पूल लेखा निधि में घाटा, यदि कोई है, अन्य आरएलडीसी द्वारा रखी गई प्रादेशिक विचलन पूल लेखा निधि द्वारा किया जाएगा।

13.3. आरआरएएस प्रदायक(कों) को भुगतान प्रादेशिक विचलन पूल लेखा निधि से आरआरएएस अनुसूची की मात्रा के लिए विनियम अप सेवाओं के मामले में समय समय से पृथक आदेश के माध्यम से आयोग द्वारा यथानिर्णित नियत लागत पर मार्कअप सहित उनके नियत एवं परिवर्ती प्रभारों पर किया जाएगाः

परंतु यह कि आयोग द्वारा अनुज्ञात तथा आनुषंगिक सेवा के परिदान के समय पर लागू नियत परिवर्ती प्रभारों को इस सेवा के लिए भुगतान की संगणना के लिए प्रयुक्त किया जाएगा और कोई भूतलक्षी व्यवस्थापन उस स्थिति में भी नहीं किया जाएगा जब नियत या परिवर्ती प्रभारों को बाद की तारीख में संशोधित किया गया हो।

13.4. आरआरएएस प्रदायक(कों) विनियम अप सेवा के अधीन अनुसूचित अनपेक्षित अधिशेष की मात्रा के लिए मूल हिताधिकारियों के लिए नियत प्रभारों का समायोजन करेंगे।

13.5. विनियम डाउन सेवा के लिए, आरआरएएस प्रदायक प्रादेशिक विचलन पूल लेखा निधि को अनुसूचित विनियम डाउन सेवाओं की मात्रा के तत्स्थानी परिवर्ती प्रभारों का 75 प्रतिशत पे बैक करेगा।

13.6. आरआरएएस के अंतर्गत दी गई अनुसूची से कोई विचलन समय समय पर यथासंशोधित या उसके किसी परवर्ती पुनरधिनियमन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2014 के अनुसार होगा।

13.7. आरआरएएस प्रदायक(कों) (ट्रिपिंग वाली यूनिट को वर्जित करते हुए) के लिए सतत असफलता पर गेमिंग के कारण दंड होगा। आरआरए के लिए आरएलडीसी के निर्देशों के उल्लंघन पर भी अधिनियम की धारा 29 के अनुसार दंड के लिए आरआरएएस प्रदायक उत्तरदायी होंगे।

13.8. कोई प्रतिबद्धता प्रभार आरआरएएस के लिए उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए आरआरएएस प्रदायकों को संदेय नहीं होगा।

14. विस्तृत क्रियाविधि

14.1. आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद नोडल एजेंसी इन विनियमों की अधिसूचना की तीन महीनों की अवधि के अंदर विस्तृत क्रियाविधि जारी करेगी।

14.2. विस्तृत क्रियाविधि में किसी शेष मामले में और अनुसूचीकरण व प्रेषण को शामिल करते हुए आरआरएएस के प्रचालनगत पहलुओं के संबंध में मार्गनिर्देशों को शामिल किया जाएगा।

15. शिथिल करने की शक्ति

15.1. आयोग लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों के लिए और शिथिलिकरण प्रदान करने से प्रभावित होने वाले संभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद सामान्य या विशेष आदेश द्वारा स्व-प्रेरणा से इच्छुक व्यक्ति द्वारा इसके समक्ष किए गए आवेदन पर इन विनियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकता है।

16. निर्देश जारी करने की शक्ति

16.1. यदि इन विनियमों को प्रभावी बनाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग स्वप्रेरणा से या किसी प्रभावित पक्षकार द्वारा दाखिल आवेदन पर ऐसा निर्देश जारी कर सकता है जिसे इन विनियमों के उद्देश्य और प्रयोजन को अग्रसर करने के लिए आवश्यक समझा जाए।

शुभा शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./150/15]

3556 GI/15-2

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2015

No. 18/1/2013/Reg.Aff.(AS Regul.)/CERC.—In exercise of the powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely:

1. Short title and commencement

1.1. These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission ***(Ancillary Services Operations)*** Regulations, 2015.

1.2. These regulations shall come into force with effect from such date as may be notified by Commission.

2. Definitions and Interpretation

2.1. In these regulations, unless the context otherwise requires,

a. "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

b. "actual drawal" in a time-block means electricity drawn by a buyer, as the case may be, measured by the interface meters;

c. "actual injection" in a time-block means electricity generated or supplied by the seller, as the case may be, measured by the Interface meters;

d. "beneficiary" means a person who has a share in an Inter-State Generating Station;

e. "Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of section 76 of the Act;

f. "Congestion" means a situation where the demand for transmission capacity exceeds the Available Transfer Capability;

g. "Detailed Procedure" means the procedure issued under regulation 14;

h. "Deviation" in a time-block for a seller means its total actual injection minus its total scheduled generation and for a buyer means its total actual drawal minus its total scheduled drawal;

i. "Grid Code" means the Grid Code specified by the Commission under clause (h) of sub-section (1) of Section 79 of the Act;

j. "interface meters" means interface meters as defined by the Central Electricity Authority under the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, as amended from time to time;

k. "Load Despatch Centre" means National Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centre or State Load Despatch Centre, as the case may be, responsible for coordinating scheduling in accordance with the provisions of Grid Code;

l. "Nodal Agency" means the System Operator, namely National Load Despatch Centre through the Regional Load Despatch Centres who shall be responsible for implementation of the ancillary services at the inter-state level. At the intra state level, the State Load Despatch Centre would be the nodal agency as and when such services are introduced by the SERCs;

m. "Virtual Ancillary Entity" means a virtual entity participating in the Regional Deviation Pool, as operationalized under Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014, which shall act as the counterparty for the schedule prepared for despatch of Reserves Regulation Ancillary Services Providers;

n. "Reserves Regulation Ancillary Services or RRAS" means Ancillary Services that consist of either Regulation Down Service or Regulation Up Service;

o. "Reserves Regulation Ancillary Services Provider or RRAS Provider" means the Regional Entity Generating Stations eligible to participate in the Reserves Regulation Ancillary Services, for providing Regulation Up or Regulation Down service;

p. "Regulation Down Service" means an Ancillary Service that provides capacity that can respond to signals or instruction of the Nodal Agency for decrease in generation, within the technical limit and time limit, to respond to changes in system frequency or congestion in the system;

q. "Regulation Up Service" means an Ancillary Service that provides capacity that can respond to signals or instruction of the Nodal Agency for increase in generation, within the technical limit and time limit to respond to changes in system frequency or congestion in the system;

r. "regional entity" means a person whose metering and energy accounting is done at the regional level;

s. "Scheduled generation" at any time or for a time block or any period means schedule of generation in MW or MWh ex-bus given by the concerned Load Despatch Centre;

t. "Scheduled drawal" at any time or for a time block or any period time block means schedule of drawal in MW or MWh ex-bus given by the concerned Load Despatch Centre;

u. "time-block" means a time block of 15 minutes each for which special energy meters record values of specified electrical parameters with first time block starting at 00.00 hrs;

v. "un-requisitioned surplus" means the reserve capacity in a generating station that has not been requisitioned and is available for despatch, and is computed as the difference between the declared capacity of the generation station and its total schedule under long-term, medium-term and short-term transactions, as per the relevant regulations of the Commission.

2.2. Save as aforesaid and unless repugnant to the context or the subject-matter otherwise requires, words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, or the Grid Code or any other regulations of this Commission shall have the meaning assigned to them respectively in the Act or the Grid Code or any other regulation.

3. Objective

3.1. The objective of these regulations is to restore the frequency at desired level and to relieve the congestion in the transmission network.

4. Scope

4.1. These regulations shall be applicable to the Regional Entities involved in the transactions facilitated through short-term open access or medium-term open access or long-term access in Inter-State transmission of electricity.

5. Eligibility for participation for Reserves Regulation Ancillary Services (RRAS)

5.1. All Generating Stations that are regional entities and whose tariff is determined or adopted by the Commission for their full capacity shall provide RRAS.

6. Role of Nodal Agency

6.1. Nodal Agency shall prepare merit order stack of Inter-State Generating Stations as stipulated in regulation 6.2 and take despatch decision.

6.2. For Regulation-Up, the Nodal Agency shall prepare stack of un-requisitioned surplus capacities available in respect of Inter-State Generating Stations from lowest variable cost to highest variable cost in each time block, and taking into account ramp up or ramp down rate, response time, transmission congestion and such other parameters as stipulated in the Detailed Procedure. For Regulation-Down, a separate merit order stack from highest variable cost to lowest variable cost incorporating technical parameters as above shall be prepared.

6.3. Nodal agency shall prepare merit order stack factoring inter-regional and intra-regional transmission constraints, if any.

6.4. Nodal Agency shall monitor the frequency during continuous low frequency or high frequency period, any system contingency, loading on tie line etc.

6.5. Nodal agency shall direct the selected RRAS Provider(s) based on the merit order for economical despatch for Regulation Up and Regulation Down, as and when requirement arises in the system on account of any of the following events:

i. Extreme weather forecasts and/or special day;

ii. Generating unit or transmission line outages;

iii. Trend of load met;

iv. Trends of frequency;

v. Any abnormal event such as outage of hydro generating units due to silt, coal supply blockade etc.;

3556 GI/15-3

vi. Excessive loop flows leading to congestion; and

vii. Such other events.

6.6. Nodal agency shall direct the selected RRAS Provider(s) to withdraw their services after the circumstances leading to triggering of RRAS no longer exist. The time-frame for withdrawal of service shall be determined as per the Detailed Procedure.

7. Role of Reserves Regulation Ancillary Services Provider (RRAS Provider)

7.1. The RRAS Provider shall on monthly basis submit details of fixed charges and variable charges, and any other applicable statutory charges, to the Regional Power Committees.

7.2. The RRAS Provider shall inject or back down generation as per the instruction of the Nodal Agency for Regulation Up and Regulation Down respectively.

8. Role of Regional Power Committees

8.1. The Regional Power Committees shall intimate the Nodal Agency on monthly basis the details of fixed charges, variable charges and any other statutory charges applicable for the RRAS Providers for merit order dispatch.

8.2. The Regional Power Committee shall use the details of fixed charges, variable charges and any other statutory charges applicable for the RRAS Providers for preparation of their energy/ Deviation Accounts.

9. Dispatch of Reserves Regulation Ancillary Services

9.1. Generation under the RRAS shall be scheduled to the Virtual Ancillary Entity in any one or more Regional Grids as decided by the Nodal Agency.

9.2. Once the time period as specified by the Nodal Agency in the scheduled procedure starts, RRAS shall be deemed to have been triggered.

9.3. The schedules of the RRAS Provider(s) shall be considered as revised by the quantum scheduled by the Nodal Agency under RRAS.

9.4. Any deviations in schedule of RRAS Provider(s) beyond the revised schedule shall be treated in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014.

10. Withdrawal of Reserves Regulation Ancillary Services

10.1. The Nodal Agency, having been satisfied that the circumstances leading to triggering of RRAS no longer exist, shall direct the RRAS Provider(s) to withdraw with effect from the time block as specified in the Detailed Procedure.

11. Scheduling of Reserves Regulation Ancillary Services

11.1. The quantum of generation dispatched shall be directly incorporated in the schedule of respective RRAS Provider(s).

11.2. For Regulation Up Service, power shall be scheduled from the generating station to the Virtual Ancillary Entity by the concerned Nodal Agency, until such time the Nodal Agency gives instruction for withdrawal of service.

11.3. For Regulation Down Service, power shall be scheduled from the Virtual Ancillary Entity to the generating station, so that effective scheduled injection of the generating station comes down, until such time the Nodal Agency gives instruction for withdrawal of service.

11.4. Separate statement shall be maintained along with Regional Deviation Settlement Account for RRAS.

11.5. The energy despatched under RRAS shall be deemed as delivered ex-bus.

12. Energy Accounting

12.1. Energy Accounting shall be done by the respective Regional Power Committee on weekly basis along with Deviation Settlement Account based on interface meters data and schedule.

12.2. The Regional Power Committees shall issue an Ancillary Services Statement along with the Deviation Settlement Mechanism Account.

13. Reserves Regulation Ancillary Services Settlement

13.1. The settlement shall be done by the Nodal Agency under the Deviation Settlement Account under separate account head of Reserves Regulation Ancillary Services.

13.2. The payment to RRAS Provider(s) shall be from the Regional Deviation Pool Account Fund. Deficit, if any, in the Regional Deviation Pool Account Fund maintained by an RLDC due to despatch of Ancillary Services, shall be made up by Regional Deviation Pool Account Fund maintained by other RLDCs.

13.3. The RRAS Provider(s) shall be paid at their fixed and variable charges, with mark-up on fixed cost, as decided by the Commission through a separate order from time to time in case of Regulation Up services for the quantum of RRAS scheduled, from the Regional Deviation Pool Account Fund.

Provided that, the fixed and variable charges allowed by the Commission and as applicable at the time of delivery of RRAS shall be used to calculate the payment for this service and no retrospective settlement of fixed or variable charges shall be undertaken even if the fixed or variable charges are revised at a later date.

13.4. The RRAS Provider(s) shall adjust the fixed charges to the original beneficiaries for the quantum of un-requisitioned surplus scheduled under Regulation Up service.

13.5. For Regulation Down service, the RRAS Provider(s) shall pay back 75% of the variable charges corresponding to the quantum of Regulation Down services scheduled, to the Regional Deviation Pool Account Fund.

13.6. Any deviation from the schedule given under RRAS shall be in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014, as amended from time to time or any subsequent re-enactment thereof.

13.7. Sustained failure to provide the RRAS (barring unit tripping) by RRAS Provider(s) shall attract penalties on account of gaming. Violation of directions of RLDC for RRAS shall also make the RRAS Provider(s) liable for penalties in terms of section 29 of the Act.

13.8. No commitment charges shall be payable to the RRAS Provider(s) for making themselves available for the RRAS.

14. **Detailed Procedure**

14.1. The Nodal Agency shall, after obtaining prior approval of the Commission, issue the Detailed Procedure within a period of 3 months of notification of these regulations.

14.2. The Detailed Procedure shall contain the guidelines regarding operational aspects of RRAS including scheduling and dispatch and any residual matter.

15. **Power to Relax**

15.1. The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected by grant of relaxation, may relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

16. **Power to issue directions**

16.1. If any difficulty arises in giving effect to these regulations, the Commission may on its own motion or on an application filed by any affected party, issue such directions as may be considered necessary in furtherance of the objective and purpose of these regulations.

SHUBHA SARMA, Secy.

[ADVT-III/4/Exty. /150/15]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.